राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"कर–भवन" अजमेर

क्रमांक एफ.7(39)जन/2013/पार्ट–II 11017-533 दिनांक: 28/10/14

समस्त उप पंजीयक,
(पूर्णकालीन एवं पदेन)
राजस्थान।

विषय :– राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–54 के तहत नोटिस जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–54 के तहत उप पंजीयक द्वारा बाजार मूल्य/स्टाम्प शुल्क का निर्धारण हेतु कलक्टर, मुद्रांक को रेफरेन्स प्रेषित करने से पूर्व संबंधित पक्षकारों को उक्त रेफरेन्स किए जाने बाबत् सूचित किए जाने का प्रावधान है।

विभाग के ध्यान में आया है कि कतिपय उप पंजीयक कार्यालयों में दस्तावेज को कमी मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की राशि जमा करवाने के लिए पंजीयन से लम्बित कर राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–54 के तहत बकाया राशि जमा कराने के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालय में पेण्डिंग रखकर समय पर पक्षकारों को सूचित नहीं किया जाता है।

महालेखाकार/आतंरिक लेखा जांचदल/विभागीय अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण में गठित आक्षेप के आधार पर कमी स्टाम्प/पंजीयन शुल्क के निर्धारण हेतु रेफरेन्स करने के लिए भी उक्त धारा–54 का नोटिस समय पर जारी नहीं किये जाते है, जिसके कारण रेफरेन्स करने में न केवल अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है, बल्कि राजस्व वसूली भी समय पर नहीं होती है।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि पंजीयन के लिए प्रस्तुत दस्तावेज में पंजीयन से पूर्व अथवा पंजीयन के उपरान्त कमी मुद्रांक का प्रकरण बनना पाया जाता है, तो **उसी दिन** धारा 54 के तहत सूचित करने हेतु नोटिस जारी किया जावे, तथा निरीक्षण के फलस्वरूप गठित आक्षेप का निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने की दिनांक को उक्त धारा–54 के तहत कमी स्टाम्प/पंजीयन शुल्क की वसूली हेतु नोटिस जारी किया जावे। उक्त नोटिस में पालना हेतु अवसर देते हुए नोटिस जारी करने की तिथि से कम से कम 7 दिन का समय दिया जावे एवं किसी भी अवस्था में 10 दिन से अधिक का समय नहीं दिया जावे। उक्त नोटिस उसी दिन स्पीड पोस्ट से जारी किया जावे, 10 दिन तक नोटिस की पालना नहीं होने पर **11वें दिन अनिवार्य रूप से** स्पीड पोस्ट द्वारा उसका रेफरेन्स वृत्ताधिकारी को प्रेषित किया जावे।

वृत्ताधिकारी अपने निरीक्षणों में उक्त निर्देशों की पालना की स्थिति का अंकन करेगें एवं प्राप्त रेफरेन्सों में उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना नहीं होने पर इसकी सूचना रेफरेन्स प्राप्त होने के 7 दिवस में मुख्यालय को करेगें। उक्त निर्देशों की अवहेलना पाई जाने पर संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

भवदीय,

28/10/14

(मिरजू राम शर्मा)
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर